

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

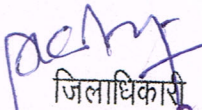
उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग, (1.751 हे० नाप भूमि 8-1123 हे० सिविल सोयम वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 8-1123 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील-डीडीहाट) की दिनांक 22/12/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

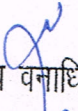
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

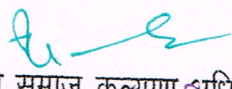
- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डा० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री विनय मिश्र गुप्ता सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र डीडीहाट सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 9.473 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़


प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य


जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव


सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र
श्रीमती जयन्ती देवी
ब्लाक प्रमुख
वि०ख० डीडीहाट

प्रपत्र-23.4

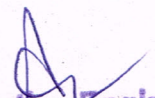
परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडिहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित पनार डीडिहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 9.8633 है० भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत भूमि शून्य एवं सिविल सोयम वन भूमि 8.1123 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक-05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण नहर निर्माण पारसण लाईन ओ०एफ०सी० केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहा है।


बृहसालदार
डीडीहाट
दिनांक.....

ह०/-
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़


Executive Engineer
Rural Engineering Service
PIU-II
PMGSY-Didihat

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date-

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **8.1123** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department, Govt. of UK for the construction of Motor Road From **Didihat to Jamtari** in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Jamtari** villages in **Didihat** Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.1123** hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure----- to ----- annexure-----
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it -----
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated.

Signature

(H.C. Semwal)
District collector
Pithoragarh

Asth. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

Executive Engineer
Rural Engineering Service
PIU-II
RMO S Y- Didihat

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित देवीदौना से जमतरी मो. मार्ग (10.525 कि. नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, -डीडीहाट

उपखण्ड कनालीदौना परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीदौना से जमतरी मो. मार्ग परियोजना हेतु (- 0.00 - हे० आरक्षित वन भूमि, 8.1123 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 8.1123 हे० वन भूमि) का सि. ख. लो. मि. वि. पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीदौना) की दिनांक 22/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनुराग भार्या उपजिलाधिकारी _____ अध्यक्ष
- 2- श्री सुनील सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी _____ सदस्य
- 3- श्री सुनील सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी _____ सदस्य
- 4- श्री मेहता अशोक बी०डी०सी० क्षेत्र _____ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

देवीदौना से जमतरी मो. मार्ग

भूमि सि. ख. लो. मि. वि. पिथौरागढ़ परियोजना हेतु 8.1123 हे० वन

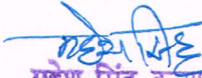
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

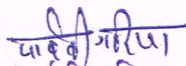
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कनालीदीना परिक्षेत्र के अन्तर्गत
 देवीदीना से जामतरी मो. मार्ग - परियोजना के निर्माण हेतु 8.11.23
 हेतु वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- डीडाहट
 जनपद- पिथौरागढ़

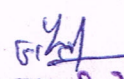
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 महेश सिंह कन्याल
 सदस्य
 क्षेत्र पंचायत खेतार कन्याल
 वि०ख० डीडाहट (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- डीडाहट
 जनपद- पिथौरागढ़


 पार्वती गरिया
 प्रधान
 ग्राम पंचायत खेतार कन्याल
 वि०ख० डीडाहट (पिथौरागढ़)


 ग्राम पंचायत अधिकारी
 क्षेत्र- खेतार कन्याल
 वि०ख० डीडाहट (पिथौरागढ़)


 श्रीमती जयन्ती देवी
 ब्याक प्रमुख
 वि०ख० डीडाहट

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- जमतडी

तहसील-डीडीहाट

जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (1.751 हे० नाप भूमि, 8.1123 हे० सिविल सोयम वन भूमि) अर्थात् कुल 9.8633 हे० वन भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जमतडी द्वारा दिनांक 24.02.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जमतडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डीडीहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्रीमती जयन्ती देवी

जनाक, प्रमुख
वि०ख० डीडीहाट

ह०/ए०
वन पंचायत सरपंच
जमतडी बाजार
जिला पिथौरागढ़

ह०/ए०
तहसीलदार
डीडीहाट
दिनांक.....

ह०/ए०
पावती गरिया
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खेतार कन्याल
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ह०/ए०
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

महेश सिंह कन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत खेतार कन्याल
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र.....
वि०ख० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Executive Engineer
Rural Engineering Service
P M G S Y-Didihat

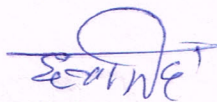
परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित डीडीहाट से जमतडी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक

को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थित

ग्राम पंचायत:- जमतडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	पुष्कल सिंह	पुष्कल सिंह
(2)	अमर सिंह	अमर सिंह
(3)	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
(4)	राम लाल	राम लाल
(5)	रामा लाल	रामा लाल
(6)	रामा लाल	रामा लाल
(7)	रामा लाल	रामा लाल
(8)	रामा लाल	रामा लाल
(9)	रामा लाल	रामा लाल
(10)	पुष्कल सिंह	पुष्कल सिंह
(11)	रामा लाल	रामा लाल
(12)	रामा लाल	रामा लाल
(13)	रामा लाल	रामा लाल



सरपंच

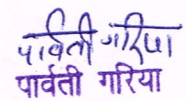
ग्राम पंचायत सिरतोली

ग्राम पं- बाजार

जिला पिथौरागढ़

ह०

प्रधान



प्रधान

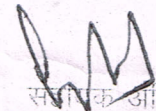
ग्राम पंचायत खेतार कन्याल
वि०ख डीडीहाट (पिथौरागढ़)

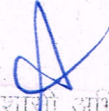
परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

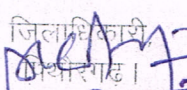
एम0आई0यू0

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जमतड़ी में 16.2246 हे0 सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है। उक्त भूमि को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामांतरित कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।


अधिसूत्री अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

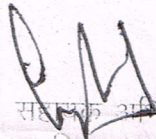

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

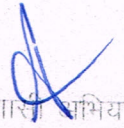
परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

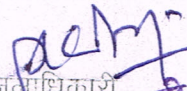
अनापत्ति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवीविछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमतड़ी में 16.2246 हे० सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिये जाने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़